भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1213
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक)

बेरोजगारी के संबंध मे सीएमआईई के आंकड़े

1213. श्री राघव चड्ढा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में बेरोजगारी दर 5.42 प्रतिशत से बढ़कर जून, 2024 में 9.2 प्रतिशत हो जाने के क्या कारण हैं;
(ख) वर्ष 2014 से बेरोजगारी दर सतत वृद्धि का समाधान करने के लिए क्या विशिष्ट नीतियां लागू की गई हैं;
(ग) वर्ष 2024 में 9.2 प्रतिशत की उच्चतम बेरोजगारी दर को देखते हुए सरकार रोजगार सृजन के लिए क्या तत्काल उपाय कर रही है; और
(घ) सरकार बढ़ती बेरोजगारी को दर्शाने वाले सीएमआईई के आंकड़ों का वर्ष 2024 में 6 प्रतिशत रोजगार वृद्धि के दावों के साथ किस तरह से इसका सामांजस्य बिठाती है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी पद्धति के आधार पर, अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई तालिका के अनुसार घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है:

वर्ष	यूआर (% में)
2017-18	6.0
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2
2021-22	4.1
2022-23	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार में अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और उपायों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की है।

*****